

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
निवासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत जातपुर)
निवासीन अधिकारी :- श्री बाल कृष्ण तिवाड़ी आर. ए. एस.

दावा
1/78 / 18

तारीख रजू
28.04.2018

तारीख निर्णय
16.05.2018

उनवान

1. रामदास उर्फ श्याम पुत्र नवल मीना जाति मीना निवासी ग्राम मीणापुरा तह0 रामगढ़ जिला अलवर।

.....वादी

बनाम


1. राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार साहब रामगढ़ जिला अलवर।

..... प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि खाता सं0 17 में दर्ज हाल खसरा नम्बर 127 रकबा 0.16, 128 रकबा 0.62, 130 रकबा 0.25, 134 रकबा 0.25, 218 रकबा 0.15, 220 रकबा 0.24, 221 रकबा 0.25, 222 रकबा 0.22, 223 रकबा 0.28, 340 रकबा 0.40, 341 रकबा 0.30 हैक्ट0 कुल किता 11 रकबा 3.35 हैक्ट0 का 1/8 हिस्सा व खाता सं0 19 में दर्ज खसरा नम्बर 219 रकबा 0.05, 434 रकबा 1.18 हैक्ट0 कुल किता 2 रकबा 1.23 हैक्ट0 का 1/16 हिस्सा आराजी वाके ग्राम मीणापुरा तहसील रामगढ़ जिला अलवर में स्थित है और खाता सं0 7 में हाल खसरा नम्बर 127 रकबा 0.14, 128 रकबा 0.43, 129 रकबा 0.42, 148 रकबा 0.09, 149 रकबा 0.21, 150 रकबा 0.10, 151 रकबा 0.11, 152 रकबा 0.73, 153 रकबा 0.12, 154 रकबा 0.12, 155 रकबा 0.07, 181 रकबा 0.29, 182 रकबा 0.13, 183 रकबा 0.01, 184 रकबा 0.34, 185 रकबा 0.08, 186 रकबा 0.40, 187 रकबा 0.13, 188 रकबा 0.23, 215 रकबा 0.05 हैक्ट0 कुल किता 20 रकबा 4.20 हैक्ट0 का 1/8 हिस्सा वाके ग्राम चक मीणापुरा तहसील रामगढ़ जिला अलवर में स्थित आराजी वाद में विवादित है। विवादित आराजी वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है और वादी के पिता नवल मीना के देहान्त के बाद उपरोक्त आराजी वादी को विरासत में मिली थी पिता के देहान्त के बाद उनकी विरासत दर्ज होते समय वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में बोलते हुए नाम " श्याम " दर्ज कर दिया था जो आज तक भी राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बोलते हुए नाम से दर्ज चला आ रहा है। जिससे वादी के उपरोक्त आराजी बाबत समस्त हकूक जायल हो रहे हैं। मिन वादी उपरोक्त विवादित आराजी


उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)


रकबा 0.14, 128 रकबा 0.43, 129 रकबा 0.42, 148 रकबा 0.09,

का रिकॉर्डेड कब्जे काश्त खातेदार है जैसा कि दावा हाजा के साथ प्रस्तुत समस्त राजस्व रिकार्ड से साबित है। मिन वादी अपने पिता नवल के देहान्त के समय नाबालिग था और उस समय अज्ञान था मिन वादी नहीं जानता था कि राजस्व रिकार्ड में मिन वादी का नाम घर के नाम से श्याम दर्ज कर देने से वादी को दीर्घकालीन परेशानीयां पैदा होगी और आज तक राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम श्याम ही दर्ज चला आ रहा है। जबकि वादी का असल नाम रामदास पुत्र नवल है जैसा कि दावा हाजा के साथ पेश समस्त राजस्व रिकार्ड से साबित है। समस्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम श्याम को कलमजन कराकर वादी का नाम रामदास दर्ज करवाने का अधिकारी है।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि डिक्री इस्तकरारहक व दुरुस्ती इन्द्राज बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाई जाकर यह करार दिया जावे कि विवादित खाता सं० 17 में दर्ज हाल खसरा नम्बर 127 रकबा 0.16, 128 रकबा 0.62, 130 रकबा 0.25, 134 रकबा 0.25, 218 रकबा 0.15, 220 रकबा 0.24, 221 रकबा 0.25, 222 रकबा 0.22, 223 रकबा 0.28, 340 रकबा 0.40, 341 रकबा 0.30 हैक्ट० कुल किता 11 रकबा 3.35 हैक्ट० का 1/8 हिस्सा व खाता सं० 19 में दर्ज खसरा नम्बर 219 रकबा 0.05, 434 रकबा 1.18 हैक्ट० कुल किता 2 रकबा 1.23 हैक्ट० का 1/16 हिस्सा आराजी वाके ग्राम मीणापुरा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है और खाता सं० 7 में हाल खसरा नम्बर 127 रकबा 0.14, 128 रकबा 0.43, 129 रकबा 0.42, 148 रकबा 0.09, 149 रकबा 0.21, 150 रकबा 0.10, 151 रकबा 0.11, 152 रकबा 0.73, 153 रकबा 0.12, 154 रकबा 0.12, 155 रकबा 0.07, 181 रकबा 0.29, 182 रकबा 0.13, 183 रकबा 0.01, 184 रकबा 0.34, 185 रकबा 0.08, 186 रकबा 0.40, 187 रकबा 0.13, 188 रकबा 0.23, 215 रकबा 0.05 हैक्ट० कुल किता 20 रकबा 4.20 हैक्ट० का 1/8 हिस्सा वाके ग्राम चक मीणापुरा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में वादी के श्याम पुत्र नवल नाम से दर्ज है जिसको कलमजन किया जाकर वादी का सही नाम रामदास पुत्र नवल दर्ज कराने का अधिकारी है और वादी को उपरोक्त विवादित आराजी का कब्जे काश्त खातेदार घोषित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत जातपुर में दिनांक 16.05.2018 को पेश हुई। वादी उपस्थित। वादी को सुना गया। तथा वादी ने


उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)


(3)

लिखित में रामदास पुत्र नवल मीणा, बनवारी लाल पुत्र नवल किशोर, रामबाबू पुत्र नवल किशोर बयान पेश किये।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं बयानों का अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी का असली नाम रामदास ही है। सही नाम की दुरुस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं लिखित बयानों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खाता सं० 17 में दर्ज हाल खसरा नम्बर 127 रकबा 0.16, 128 रकबा 0.62, 130 रकबा 0.25, 134 रकबा 0.25, 218 रकबा 0.15, 220 रकबा 0.24, 221 रकबा 0.25, 222 रकबा 0.22, 223 रकबा 0.28, 340 रकबा 0.40, 341 रकबा 0.30 हैक्ट० कुल कित्ता 11 रकबा 3.35 हैक्ट० का 1/8 हिस्सा व खाता सं० 19 में दर्ज खसरा नम्बर 219 रकबा 0.05, 434 रकबा 1.18 हैक्ट० कुल कित्ता 2 रकबा 1.23 हैक्ट० का 1/16 हिस्सा आराजी वाके ग्राम मीणापुरा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है और खाता सं० 7 में हाल खसरा नम्बर 127 रकबा 0.14, 128 रकबा 0.43, 129 रकबा 0.42, 148 रकबा 0.09, 149 रकबा 0.21, 150 रकबा 0.10, 151 रकबा 0.11, 152 रकबा 0.73, 153 रकबा 0.12, 154 रकबा 0.12, 155 रकबा 0.07, 181 रकबा 0.29, 182 रकबा 0.13, 183 रकबा 0.01, 184 रकबा 0.34, 185 रकबा 0.08, 186 रकबा 0.40, 187 रकबा 0.13, 188 रकबा 0.23, 215 रकबा 0.05 हैक्ट० कुल कित्ता 20 रकबा 4.20 हैक्ट० का 1/8 हिस्सा वाके ग्राम चक मीणापुरा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम श्याम पुत्र नवल दर्ज है उसके कलमजन कर उसके स्थान पर वादी का सही नाम रामदास पुत्र नवल दर्ज करने बाबत तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत जातपुर में सुनाया गया।

 उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी रामगढ (अलवर)
रामगढ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
स्थान अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत जातपुर)
स्थान अधिकारी :- श्री बाल कृष्ण तिवाड़ी आर. ए. एस.

78 / 18

तारीख रजु
28.04.2018

तारीख निर्णय
16.05.2018

उनवान

1. रामदास उर्फ श्याम पुत्र नवल मीना जाति मीना निवासी ग्राम मीणापुरा तह0 रामगढ़ जिला अलवर।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब रामगढ़ जिला अलवर।


..... प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं लिखित बयानो के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खाता सं0 17 में दर्ज हाल खसरा नम्बर 127 रकबा 0.16, 128 रकबा 0.62, 130 रकबा 0.25, 134 रकबा 0.25, 218 रकबा 0.15, 220 रकबा 0.24, 221 रकबा 0.25, 222 रकबा 0.22, 223 रकबा 0.28, 340 रकबा 0.40, 341 रकबा 0.30 हैक्ट0 कुल किता 11 रकबा 3.35 हैक्ट0 का 1/8 हिस्सा व खाता सं0 19 में दर्ज खसरा नम्बर 219 रकबा 0.05, 434 रकबा 1.18 हैक्ट0 कुल किता 2 रकबा 1.23 हैक्ट0 का 1/16 हिस्सा आराजी वाके ग्राम मीणापुरा तहसील रामगढ़ जिला अलवर में स्थित है और खाता सं0 7 में हाल खसरा नम्बर 127 रकबा 0.14, 128 रकबा 0.43, 129 रकबा 0.42, 148 रकबा 0.09, 149 रकबा 0.21, 150 रकबा 0.10, 151 रकबा 0.11, 152 रकबा 0.73, 153 रकबा 0.12, 154 रकबा 0.12, 155 रकबा 0.07, 181 रकबा 0.29, 182 रकबा 0.13, 183 रकबा 0.01, 184 रकबा 0.34, 185 रकबा 0.08, 186 रकबा 0.40, 187 रकबा 0.13, 188 रकबा 0.23, 215 रकबा 0.05 हैक्ट0 कुल किता 20 रकबा 4.20 हैक्ट0 का 1/8 हिस्सा वाके ग्राम चक मीणापुरा तहसील रामगढ़ जिला अलवर में स्थित के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम श्याम पुत्र नवल दर्ज है उसके कलमजन कर उसके स्थान पर वादी का सही नाम रामदास पुत्र नवल दर्ज करने बाबत तहसीलदार रामगढ़ को आदेशित किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.05.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।


उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)
उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

रकबा 0.14, 128 रकबा 0.43, 129 रकबा 0.42, 148 रकबा 0.09, 149 रकबा 0.21, 150 रकबा 0.10, 151 रकबा 0.11, 152 रकबा 0.73, 153 रकबा 0.12, 154 रकबा 0.12, 155 रकबा 0.07, 181 रकबा 0.29, 182 रकबा 0.13, 183 रकबा 0.01, 184 रकबा 0.34, 185 रकबा 0.08, 186 रकबा 0.40, 187 रकबा 0.13, 188 रकबा 0.23, 215 रकबा 0.05 हैक्ट0 कुल किता 20 रकबा 4.20 हैक्ट0 का 1/8 हिस्सा वाके ग्राम चक मीणापुरा तहसील रामगढ़ जिला अलवर में स्थित के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम श्याम पुत्र नवल दर्ज है उसके कलमजन कर उसके स्थान पर वादी का सही नाम रामदास पुत्र नवल दर्ज करने बाबत तहसीलदार रामगढ़ को आदेशित किया जाता है।